न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

(पीठासीन अधिकारी :– अशोक कुमार सॉंखला, आर0 ए0 एस0)

अपील संख्या :– 48/2015 अन्तर्गत धारा 223 आर0 टी0 एक्ट

उनवान :– 1. धर्मपाल पुत्र परमा जाति कुम्हार निवासी ग्राम बानसूर तहसील बानसूर जिला अलवर ———(मृतक)

1/1 भगोती देवी पत्नि स्व0 धर्मपाल

1/2 सीताराम पुत्र स्व0 धर्मपाल

1/3 मोहनलाल पुत्र स्व0 धर्मपाल

1/4 प्रेम पुत्र स्व0 धर्मपाल,

1/5 सुशीला पुत्री स्व0 धर्मपाल

2 लालचन्द पुत्र परमा

3 रामवतार पुत्र परमा

4 मु0 प्यारी देवी बेवाह ग्यारसी लाल पुत्र वधु परमा

5 नेमी पुत्र ग्यारसी लाल पौत्र परमा जाति कुम्हार निवासी ग्राम बानसूर तहसील बानसूर जिला अलवर

:————अपीलांट्स

बनाम

1 रघुवीर

2 पूर्ण

3 गणपत पुत्रान चिरन्जी जाति मीणा निवासी बानसूर तहसील बानसूर जिला अलवर

:————असल रेस्पो0

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

4 विष्णु
5 गुखराम
6 पूरण
7 बलराम पुत्रान ग्याररसी लाल पौत्र परगा जाति कुम्हार निवासी ग्राम बानसूर तह0 बानसूर जिला अलवर
8 तहसीलदार, बानूसर बहैसियत भूमिधारी

:————————तरतीबी रेस्पो0

अपील विरूद्ध निर्णय व डिक्री उपखंड अधिकारी, बानसूर दिनांक 4.6.2013

उपस्थित :– 1. वकील अपीलांट :– श्री शैलेन्द्र भार्गव

2. वकील असल रेस्पों0 :– श्री अनिल गुप्ता

निर्णय दिनांक 11.11.2021

1 यह अपील विचारण न्यायालय उपखंड अधिकारी, बानसूर द्वारा राजस्व वाद संख्या 176/2011 (175/2007) अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 आर0 टी0 एक्ट में पारित निर्णय दिनांक 4.6.2013, जिसके द्वारा उक्त वाद पत्र डिक्री किया गया है, के खिलाफ राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1956 की धारा 223 के तहत पेश की गई है ।

2 प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने तहत अदालत में वाद पत्र पेश कर निवेदन किया कि आराजी खसरा नम्बर 608 रकबा 2 बीघा सालिम व आराजी खसरा नम्बर 607 रकबा 6 बीघा 12 बिस्वा बुतरफ का 2 बीघा रकबा वाके मौजा बाढ ठेगूंवास तहसील बानसूर में स्थित है, जो आराजी विवादित है । साबिक आराजी के हाल खसरा नम्बर 977 रकबा 50 एयर व हाल खसरा नम्बर 982 रकबा 01 एयर, खसरा नम्बर 983 रकबा 01 एयर, 984 रकबा 1.14 हेक्टेयर, 986 रकबा 01 एयर व खसरा नम्बर 986/1032 रकबा 50 एयर बने हैं । विवादित आराजी वादीगण की बुजुर्गान की कब्जे काश्त खातेदारी की है, जो वादीगण को उनके मृतक पिता चिरन्जी से विरासत में प्राप्त हुई है । जमींदारी बिस्वेदारी उन्मूलन अधिनियम व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू होने के दिन भी वादीगण के पिता काबिज काश्तकार थे । साबिक खसरा नम्बर 381 वाके

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

ग्राम बाढ ठेगूंवास तहसील बानसूर का क्षेत्रफल काफी बड़ा था, जिसके सम्वत 2021 में खसरा नम्बर 578, 604, 606, 607, 608, 657, 660, 659, 601 बनाये गये थे । प्रतिवादीगण असल का बुजुर्ग रामदयाल पुत्र नानगा कुम्हार भी साबिक खसरा नम्बर 381 में तरफ पश्चिम दक्षिण का रकबा 8 बीघा का काबिज खातेदार रहा है और आज भी इसी दिशा में काबिज है, परन्तु बंदोबस्त सम्वत 2021 में असल प्रतिवादीगण की आराजी करीब 3 बीघा 8 बिस्वा को दीगर व्यक्ति के नाम दर्ज कर दिया और विवादित आराजी, जो कि वादीगण की बुजुर्गान की कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है, को गलत तौर पर असल प्रतिवादीगण व उनके बुजुर्ग रामदयाल के नाम दर्ज कर दी । बंदोबस्त विभाग को ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं है । अतः निवेदन है कि वाद पत्र डिक्री किया जावे । तहत अदालत ने निर्णय दिनांक 4.6.2013 द्वारा उक्त वाद पत्र डिक्री किया है, जिस निर्णय दिनांक 4.6.2013 से व्यथित होकर असल प्रतिवादीगण ने यह अपील पेश की है ।

3 बहस में विद्वान वकील अपीलांट ने सर्वप्रथम मियाद बिन्दू पर तर्क दिये कि वादी का वाद पत्र दिनांक 26.10.2010 को अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज हो गया था । इसके बाद उक्त वाद पत्र दिनांक 14.2.2011 को पुनः नम्बर पर ले लिया गया था, परन्तु हमारे वकील साहब ने हमको ये जानकारी नहीं दी कि वाद पत्र पुनः नम्बर पर ले लिया गया है । तहत अदालत ने हमको नोटिस जारी नहीं किया । हम तहत अदालत में उपस्थित नहीं हुये । हमारी गलत तौर पर एकपक्षीय कार्यवाही कर दी गई । इन्हीं कारणों की वजह से हमको अपीलाधीन निर्णय की जानकारी समय पर नहीं हो सकी थी । जब तहसीलदार ने हमको बेदखल करने का नोटिस दिनांक 13.6.2015 को दिया तब मालूम हुआ कि वादीगण असल रेस्पो0 के पक्ष में डिक्री पारित हो गई और उक्त डिक्री की इजराय का इंतकाल अपने नाम करा लिया । जानकारी की तिथि से अपील अन्दर मियाद पेश कर दी है । अतः निवेदन है कि उपरोक्त परिस्थितियों के कारण जानकारी के अभाव में हुई देरी को माफ किया जावे और अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे ।

4 विद्वान वकील अपीलांट ने आगे तर्क दिये कि वादीगण असल रेस्पो0 ने विवादित आराजी की बाबत ऐसी कोई दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य पेश नहीं की है, जिससे यह साबित हो कि विवादित आराजी से उनका सम्बन्ध रहा हो । विवादित आराजी साबिक खसरा नम्बर 381 का रकबा करीब 35 बीघा का था, जिसके बंदोबस्त सम्वत 2021 में हाल खसरा नम्बर 578, 604,

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

606, 607, 608, 657, 660, 659, 601 बनाये गये थे । उक्त साबिक खसरा नम्बर 381 में तरफ पश्चिम दक्षिण का रकबा 8 बीघा का काबिज काश्तकार खातेदार हम अपीलांटस एवं तरतीबी रेस्पो0 के बुजुर्ग रामदयाल पुत्र नानगा कुम्हार थे । उनके बाद हम भी उसी स्थान पर काबिज हुये, जहां पर हमारे बुजुर्ग रामदयाल काबिज थे । स्वयं वादीगण असल रेस्पो0 ने तहत अदालत में इस तथ्य को स्वीकार किया है । विवादित आराजी साबिक खसरा नम्बर 608 रकबा 2 बीघा सालिम व खसरा नम्बर 607 रकबा 6 बीघा 12 बिस्वा के बतरफ का 2 बीघा रकबा, जिनके हाल खसरा नम्बर 977 रकबा 50 एयर, 982 रकबा 01 एयर, 983 रकबा 01 एयर, 984 रकबा 1.14 हेक्टेयर, 986 रकबा 01 एयर तथा 986/1032 रकबा 50 एयर बनाये गये हैं । वादीगण असल रेस्पो0 ने सभी खातेदारान को वाद पत्र में पक्षकार नहीं बनाया और ना ही साबिक खसरा नम्बर 381 मिन की पुरानी जमाबन्दी में जो भी खातेदारान है, उनकी जमाबन्दी पेश की । वादीगण असल रेस्पों0 ने बंदोबस्त सम्वत 2021 में बने हाल खसरा नम्बरान को तो वाद पत्र में अंकित कर दिये, परन्तु उनकी जमाबन्दी पेश नहीं की । जबकि पुरानी जमाबन्दी सम्वत 2015 व 2019 में सभी खातेदारान जो साबिक खसरा नम्बर 381 के है, उससे साफ जाहिर हो जाता है कि कौन कौन खातेदार किस किस दिशा पर काबिज है । जमाबन्दी सम्वत 2015 व 2019 में हमारे बुजुर्ग रामदयाल का नाम दर्ज है, परन्तु इन सम्वतों की जमाबन्दी वादीगण असल रेस्पो0 ने तहत अदालत में पेश नहीं की । वादीगण असल रेस्पो0 विवादित आराजी पर काबिज ही नहीं थे, इसलिये सम्वत 2021 की जमाबन्दी में उनका नाम दर्ज नहीं हुआ । जमाबन्दी सम्वत 2015 में तरफ पश्चिम बीच में अंकित है, जो रकबा 35 बीघा है, उसका बीच कहां पर आता है, उस हिसाब से विवादित आराजी खसरा नम्बर 608, 607 पर नहीं आता है, क्योंकि हम अपीलांट्स प्रतिवादीगण व तरतीबी रेस्पो0 विवादित आराजी पर करीब 80 साल से पूर्व से ताहाल तक काबिज हैं । स्वयं वादीगण असल रेस्पो0 ने अपने वाद पत्र के जिमन नम्बर 5, 6 व 7 में स्वीकार किया है कि प्रतिवादीगण अपीलांट्स व तरतीबी रेस्पो0 का रकबा 8 बीघा तरफ पश्चिम दक्षिण पर है तो फिर उसी आराजी खसरा नम्बर 608 व 607 में से रकबा 4 बीघा का वादीगण असल रेस्पो0 को खातेदार कैसे घोषित किया जा सकता है । सम्वत 2011–14 की जमाबन्दी में कोई दिशा नहीं खोली हुई है । सम्वत 2015 की जमाबन्दी में आराजी खसरा नम्बर 381 मिन रकबा 8 बीघा पर तरफ पश्चिम को हमारा दखल होना बताया गया है । इस दखल

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

शब्द को दक्षिण पढ लिया गया है । हमारी सम्यक रूप से तामील नहीं हुई है । प्रतिवादी को बिना सुने पारित किया गया निर्णय विधिसम्मत नहीं होता है । तहत अदालत ने अपना निर्णय पारित करते समय विधि के प्रावधानों की अनुदेखी की है । वादीगण असल रेस्पो0 का वाद दस्तावेजी साक्ष्य से साबित नहीं है । मैंने अपील के साथ दस्तावेज पेश किये है, जिनसे साबित है कि विवादित आराजी से वादीगण असल रेस्पो0 का कोई लेना देना नहीं है । अतः निवेदन है कि अपील स्वीकार की जावे ।

विद्वान वकील अपीलांट्स ने अपनी बहस के समर्थन में आर0 आर0 टी0 2001 (2) पेज 1143, ए0 आई0 आर0 1998 एस0 सी0 पेज 3222, 1998 आर0 आर0 डी0 पेज 319, 1988 (1) आर0 एल0 आर0 पेज 29, 1990 आर0 आर0 डी0 पेज 534, 2016 (2) आर0 आर0 टी0 पेज 971, 2001 (2) आर0 आर0 टी0 पेज 1143 पेश की ।

5 जवाब में विद्वान वकील असल रेस्पो0 ने सर्वप्रथम मियाद बिन्दू पर तर्क दिये कि इनकी सम्यक रूप से तामील हुई थी । ये उपस्थित भी हुये थे । इनके वकील का वकालतनामा पेश हुआ था, परन्तु बाद में इन्होंने उपस्थित होना छोड दिया था । इनको जवाब दावा पेश करने के अनेकों अवसर दिये गये थे, परन्तु इन्होंने जवाब दावा पेश नहीं किया । इनकी सही तौर पर इकतरफा कार्यवाही की गई थी । युक्तियुक्त कारण बताने पर ही देरी को माफ किया जा सकता है । इन्होंने देरी के युक्तियुक्त कारण नहीं बताये हैं । अतः अपील मियाद बिन्दू पर ही खारिज की जावे ।

6 विद्वान वकील असल रेस्पो0 ने अपने वाद पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये आगे तर्क दिये कि इनकी सही तौर पर इकतरफा कार्यवाही की गई है । अगर इनको इकतरफा कार्यवाही से कोई ऐतराज है तो अपनी इकतरफा कार्यवाही को खुलवाने के लिये तहत अदालत में आदेश 9 नियम 13 सी0 पी0 सी0 का प्रार्थना पत्र तहत अदालत में पेश करना चाहिये था । इनको अपील पेश करने का कोई अधिकार नहीं है । विद्वान वकील असल रेस्पो0 ने आगे तर्क दिये कि विवादित आराजी से अपीलांट्स का कोई लेना देना नहीं है । इनकी आराजी दीगर लोगों के नाम दर्ज कर दी गई है । विवादित आराजी हमारे बुजुर्गान की कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी थी, जिसे गलत तौर पर बंदोबस्त सम्वत 2021 में अपीलांट्स के बुजुर्ग रामदयाल के नाम दर्ज कर दी । बंदोबस्त विभाग को साबिक इन्द्राजात को परिवर्तित करने का कोई अधिकार नहीं है । वह साबिक इन्द्राजात को केवल दोहरा सकता है । उक्त आराजी हमको हमारे पिता चिरन्जी से प्राप्त

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

हुई है । हमने हमारे वाद पत्र को दस्तावेजी साक्ष्य से साबित कराया है । इसीलिये सही तौर पर हमारा वाद पत्र डिक्री किया गया है । अतः निवेदन है कि अपील खारिज की जावे । विद्वान वकील असल रेस्पो0 ने अपनी बहस के समर्थन में न्यायिक दृष्टांत डी0 एन0 जें0 2016 (4) पेज 1729, 2016–17 आर0 आर0 टी0 (सप्लीमेंटरी) पेज 158, आर0 आर0 टी0 2019 (2) पेज 970, आर0 आर0 2016 (2) पेज 1267, आर0 आर0 टी0 2016 (2) पेज 1067, आर0 आर0 टी0 2013 (2) पेज 1219, आर0 आर0 टी0 2014 (2) पेज 1034, आर0 आर0 टी0 2018 (1) पेज 292, आर0 आर0 टी0 2018 (2) पेज 1514 व आर0 आर0 टी0 2002 पेज 268 पेश किये ।

7 हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभयपक्षीय बहस तर्कों पर गौर किया । सर्वप्रथम मियाद बिन्दू पर गौर किया । माननीय राजस्व मण्डल ने अपनी विभिन्न नजीरों में प्रतिपादित किया है कि न्यायालय को मियाद बिन्दू पर नरम रूख अपनाना चाहिये और प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण पर किया जाना चाहिये । अतः माननीय राजस्व मण्डल द्वारा प्रतिपादित उक्त सिद्धान्त के परिप्रेक्ष्य में तथा विद्वान वकील अपीलांट द्वारा मियाद बिन्दू पर दिये गये तर्कों पर विश्वास करते हुये उदार दृष्टिकोण अपनाते हुये देरी को माफ किया जाता है और अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है ।

8 दौराने विचारण अपील धर्मपाल अपीलांट का देहान्त हो गया था, जिसके वारिसान को रेकार्ड पर लेने हेतु प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 3 सी0 पी0 सी0 पेश हुआ था, जो प्रार्थना पत्र अदालत हाजा के आदेश दिनांक 22.2.2021 द्वारा स्वीकार कर मृतक धर्मपाल अपीलांट के विधिक वारिसान को रेकार्ड पर लिया गया था ।

9 प्रकरण के गुणावगुण पर गौर किया । वादीगण असल रेस्पो0 ने तहत अदालत में वाद पत्र पेश कर निवेदन किया था कि आराजी साबिक खसरा नम्बर 381 रकबा 4 बीघा का उनका पिता चिरन्जी खातेदार था, परन्तु बंदोबस्त सम्वत 2021 में इस साबिक खसरा नम्बर 381 का नया नम्बर 608 रकबा 2 बीघा सालिम भूमि तथा 607 रकबा 6 बीघा 12 बिस्वा में से 2 बीघा भूमि प्रतिवादीगण के पिता चिरन्जी के नाम दर्ज कर दी । इस सम्बन्ध में तहत अदालत की पत्रावली में संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया । तहत अदालत की पत्रावली में संलग्न मिलान क्षेत्रफल सम्वत 2060 प्रदर्श–7 के अनुसार आराजी साबिक खसरा नम्बर 608 से हाल नम्बर 977 , साबिक नम्बर 607 मिन से हाल नम्बर 982, 607 मिन से हाल नम्बर 983, 607 मिन से हाल नम्बर 984, 607 मिन से हाल नम्बर 986, साबिक नम्बर 607 मिन

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

से हाल नम्बर 986/1032 बनना पाये जाते हैं । हाल जमाबन्दी प्रदर्श 8 में हाल खसरा नम्बरान 977 रकबा 50 एयर, 982 रकबा 01 एयर, 983 रकबा 01 एयर, 984 रकबा 1.14 हेक्टेयर, 986 रकबा 01 एयर व 986/1032 रकबा 50 एयर पर परमा पुत्र रामदयाल कौम कुम्हार को खातेदार दर्ज किया हुआ है । जमाबन्दी सम्वत 2021 में खसरा नम्बर 607 रकबा 6 बीघा 12 बिस्वा व खसरा नम्बर 608 रकबा 2 बीघा पर रामदयाल मजकूर का अंकन है । इसी प्रकार जमाबन्दी सम्वत 2021 में अन्य खसरा नम्बरों के साथ साथ खसरा नम्बर 659, 660 पर डालू वल्द लादू कौम कुम्हार साकिन बानसूर का अंकन है । खसरा नम्बर 603 व 604 पर मामला व सूरण के नाम का अंकन है । खसरा नम्बर 578 रकबा 4 बीघा 9 बिस्वा पर अर्जुन पुत्र भरमूल कौम मीना के नाम का अंकन है । जमाबन्दी सम्वत 2021 में अन्य खसरा नम्बरों के साथ साथ खसरा नम्बर 657 रकबा 3 बीघा 15 बिस्वा पर सुल्तान व हडुमान पिसरान विडदा कौम मीना के नाम का अंकन है । जमाबन्दी सम्वत 2019–22 में खसरा नम्बर 381 मिन रकबा 4 बीघा पर चिरन्जी पुत्र कन्हैया कौम मीना को खातेदार दर्ज किया हुआ है । जमाबन्दी सम्वत 2015–18 में खसरा नम्बर 381 रकबा 4 बीघा पर चिरन्जी मीना को खातेदार दर्ज किया हुआ है । इन जमाबंदियों में त0प0 को बीच का अंकन है । हाल जमाबन्दी सम्वत 2056 में खसरा नम्बर 607 रकबा 6 बीघा 12 बिस्वा तथा 608 रकबा 2 बीघा पर परमा पुत्र रामदयाल कौम कुम्हार का अंकन है । मिलान क्षेत्रफल सम्वत 2021 के अनुसार हाल नम्बर 578 में साबिक खसरा नम्बर 381 की 3 बिस्वा, हाल नम्बर 604 में साबिक खसरा नम्बर 381 की 5 बीघा 15 बिस्वा, हाल नम्बर 606 में साबिक खसरा नम्बर 381 की 12 बीघा 06 बिस्वा, हाल नम्बर 607 में साबिक खसरा नम्बर 381 की 6 बीघा 10 बिस्वा, हाल नम्बर 608 में साबिक खसरा नम्बर 381 की 2 बीघा, हाल नम्बर 657 में साबिक खसरा नम्बर 381 की 01 बीघा 3 बिस्वा, हाल नम्बर 658 में साबिक खसरा नम्बर 381 की 01 बीघा 01 बिस्वा, हाल नम्बर 660 में गत खसरा नम्बर 381 की 3 बीघा 15 बिस्वा तथा हाल नम्बर 659 में गत खसरा नम्बर 381 की 2 बीघा 13 बिस्वा भूमि शामिल है ।

10 उपरोक्त समस्त दस्तावेजों के अवलोकन से यह सिद्ध है कि वादीगण असल रेस्पो0 के पिता चिरन्जी बंदोबस्त सम्वत 2021 से पूर्व आराजी साबिक खसरा नम्बर 381 रकबा 4 बीघा का खातेदार था, जैसा कि जमाबन्दी सम्वत 2019–22 प्रदर्श 2 तथा जमाबन्दी सम्वत 2015–18 प्रदर्श–3 से सिद्ध

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

है, परन्तु बंदोवस्त सम्वत 2021 में इस साविक खसरा नम्बर 381 का नया नम्बर 607 रकबा 6 बीघा 12 बिस्वा में वादीगण के पिता चिरन्जी की 2 बीघा भूमि शामिल करते हुये तथा साविक खसरा नम्बर 381 से नया नम्बर 608 रकबा 2 बीघा कायम करते हुये वादीगण के पिता चिरन्जी की सम्पूर्ण आराजी रकबा 4 बीघा असल रेस्पो0 के बुजुर्ग रामदयाल के नाम दर्ज कर दी । इसके बाद हाल जमाबन्दी सम्वत 2056 के अनुसार वादीगण के पिता की भूमि असल रेस्पो0 के पिता परमा के नाम दर्ज कर दी । यह एक सुस्थापित कानून है कि बंदोबस्त विभाग को साविक राजस्व रेकार्ड के इन्द्राजात को ही दोहराने का अधिकार है । उन इन्द्राजों को परिवर्तित करने का बंदोबस्त विभाग को कोई अधिकार नहीं है । परन्तु बंदोबस्त विभाग ने कानून के प्रावधानों की अनदेखी करते हुये साविक रेकार्ड के इन्द्राजात को परिवर्तित कर दिया । वादीगण की उक्त भूमि पत्रावली में उपलब्ध नक्शा एवं अन्य राजस्व रेकार्ड के अनुसार तरफ उत्तर को स्थित होना जाहिर है । उपरोक्त समस्त तथ्यों के विवेचन की रोशनी में हम अपीलाधीन निर्णय में किसी प्रकार की विधिक त्रुटि होना नहीं पाते हैं ।

लिहाजा अपील खारिज किये जाने योग्य है।

अतः आदेश है कि अपील अपीलांट्स खारिज की जाकर तहत अदालत के अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 4.6.2013 यथावत रखे जाते हैं ।

11 निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया । पर्चा डिक्री जारी हो । पत्रावली

12 फैसल शुमार हो ।

(अशोक कुमार सॉंखला)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी,अलवर

न्यायालय भू प्रवन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

(पीठासीन अधिकारी :– अशोक कुमार सॉंखला, आर0 ए0 एस0)

अपील संख्या :– 48/2015 अन्तर्गत धारा 223 आर0 टी0 एक्ट

उनवान :– 1. धर्मपाल पुत्र परमा जाति कुम्हार निवासी ग्राम वानसूर तहसील वानसूर जिला अलवर राजस्थान ———— (मृतक)

1/1 भगोती देवी पत्नि स्व0 धर्मपाल

1/2 सीताराम पुत्र स्व0 धर्मपाल

1/3 मोहनलाल पुत्र स्व0 धर्मपाल

1/4 प्रेम पुत्र स्व0 धर्मपाल

1/5 सुशीला पुत्री स्व0 धर्मपाल,

2. लाल चन्द पुत्र परमा

3. रामवतार पुत्र परमा

4. मु0 प्यारी देवी बेवाह ग्यारसी लाल पुत्र वधु परमा

5. नेमी पुत्र ग्यारसी लाल पौत्र परमा जाति कुम्हार निवासी ग्राम बानसूर तहसील बानसूर जिला अलवर राजस्थान

:———— अपीलांट्स

बनाम

1 रघुवीर

2 पूर्ण

3 गणपत पुत्रान चिरन्जी जाति मीणा निवासी बानसूर तहसील बानसूर जिला अलवर राजस्थान

:———— असल रेस्पो0

4 विष्णु

5 मुखराम

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

6 पूरण
7 वलराम पुत्रान ग्यारसी लाल पौत्र परगा जाति कुम्हार निवासी
वानसूर जिला अलवर राजस्थान
8 तहसीलदार, वानसूर वहैसियत भूमिधारी

:———————— तरतीवी रेस्पो0

अपील विरूद्ध निर्णय व डिकी उपखंड अधिकारी, वानसूर
दिनांक 4.6.2013

उपस्थित :— 1. वकील अपीलांट्स :— श्री शैलेन्द्र भार्गव
2. वकील असल रेस्पो0 :— श्री अनिल गुप्ता

पर्चा डिकी दिनांक 11.11.2021

अपील अपीलांट्स खारिज की जाकर तहत अदालत के निर्णय एवं डिकी दिनांक 4.6.2013 यथावत रखे जाते हैं ।

(अशोक कुमार सॉखला)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर